फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री नवीन शर्मा निवासी 28 व्हाइट हाउस आदर्श कॉलोनी, पुला पैट्रोल पम्प के पास, पुला आर.के. सर्कल, उदयपुर जिला उदयपुर

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 29/2019**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.07.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक एफ.1( )सू0अ0,05/2019/511–12 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 28.03.2019 का सूचना का अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 04.04.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना **ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केलवा, तहसील राजसमन्द** की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू0अ0.05/2019/289–90 दिनांक 04.04.2019 को मूल ही प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 6(3)(I)(II) के तहत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केलवा तहसील राजसमन्द को प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी को भी सूचित किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केलवा तहसील राजमसन्द द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/ग्रापके/सू.अ./2019/10–13 दिनांक 22.04.2019 से सूचना भिजवाते हुए इस कार्यालय को प्रति दी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर इस कार्यालय द्वारा यथा समय संबंधित विभाग को अन्तरण किया गया है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना **ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केलवा, तहसील राजसमन्द** से संबंधित होने से प्रकरण लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द के द्वारा अन्तरित किया जाकर अपीलार्थी को जरिये डाक के पते पर सूचित किया जा चुका है। साथ ही प्रार्थी अपीलार्थी को सूचित किया जाता है की अपीलार्थी चाहे तो प्रथम अपील सरपंच ग्राम पंचायत केलवा को कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। **ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केलवा, तहसील राजसमन्द** की	

प्रथम अपील सुनने का श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं होने से अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर राजसमन्द व अपीलार्थी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द